अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(223/71) सुमित्रा चौहान / बालमु०-६

	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख़ अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
2024/49	R-3, 4713	
पेशी	श्री राकेश अरोड़ा — श्री हेमराज गुर्जर 4A-5	
9/10/24	सुमित्रा बनाम बालमुकुन्द वगैरह (2024/49) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि अपील में वर्णित भूमियों के संबंध में लोक अदालत की भावना के तहत आपसी सहमति हो गई है। इस कारण अपीलांट अपील के तहत कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः विधिक कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित रखते हुए अपील को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने इस पर अनापत्ति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि यदि अपील को विड्रो किया जाता है तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अपीलांट सुमित्रा चौहान, कैलाश कंवर स्वयं उपस्थित हुए एवं स्वहस्ताक्षरित आधार कार्ड की प्रति पेश की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने भी आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है और अपील को इसी स्तर पर विड्रो करवाना चाहता है। अतः अपीलांटस को सशर्त अपील विड्रो किये जाने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर अभिभाषक अपीलांटस एवं अपीलांटस द्वारा अपील को आगे नहीं चलाये जाने से अपील को सशर्त विड्रो किये जाने की अनुमति दी जाकर अपील विड्रो किये जाने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	अपीलान्ट Chauhan (2) कैलाश कंवर Identify by me. 9/10/24 बालमुकुन्द Identify by [signature]